पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1089

दिनांक-30.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

पत्रकारपुरम स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट पर फायरिंग एवं मारपीट की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **पत्रकारपुरम स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट पर फायरिंग एवं मारपीट की घटना का सफल अनावरण।**
- **घटना में तीन अभियोग पंजीकृत, विवेचना के दौरान 3(5) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट की बढ़ोत्तरी।**
- **फायरिंग में होटल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, उपचार जारी।**
- **फरार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **28.06.2026** को थाना गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत पत्रकारपुरम स्थित **मनीष ईटिंग प्वाइंट** पर दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट एवं फायरिंग की घटना में परिवर्तित हो गया। घटना में होटल कर्मचारी **अखिलेश कुमार** को गोली लगने से गंभीर चोट आई।

घटना के संबंध में दिनांक 29.06.2026 को थाना गोमतीनगर पर निम्न तीन अभियोग पंजीकृत किए गए—

1. **मु0अ0सं0 269/2026** – वादी **अंकित सिंह** की तहरीर पर, जिसमें पिस्टल एवं चाकू से हमला, फायरिंग, कर्मचारी को गोली लगना, आवास पर हमला, वाहन में फायरिंग, पड़ोसी के वाहन में तोड़फोड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. **मु0अ0सं0 270/2026** – वादी **मनीष गौर** (स्वामी, मनीष ईटिंग प्वाइंट) की तहरीर पर, जिसमें वादी एवं कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से हमला, फायरिंग, कर्मचारी को गोली लगना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. **मु0अ0सं0 271/2026** – वादी **संतोष सिंह** की तहरीर पर, जिसमें आवास पर फायरिंग, वाहन संख्या **UP32NC-0111** को क्षतिग्रस्त करना, पड़ोसी के वाहन में तोड़फोड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण **अभय सिंह, प्रणव शुक्ला, विष्णु स्वरूप द्विवेदी, आदित्य** तथा उनके अन्य साथियों ने एकराय होकर मनीष ईटिंग प्वाइंट पर जानलेवा हमला किया तथा अवैध असलहे से फायरिंग की। इसके उपरांत अभियुक्तगण वादी अंकित सिंह के आवास पर पहुंचे और वहां भी फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल **अभियुक्त प्रणव शुक्ला को दिनांक 29.06.2026 को** गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चूका है।

आज दिनांक 30.06.2026 को प्रकरण से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों **01- अभय प्रताव सिंह 02-विष्णु स्वरूप द्विवेदी 03- सार्थक कपूर** को गिरफ्तार कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विवेचना के दौरान **मु0अ0सं0 269/2026 एवं 270/2026** में **धारा 3(5) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई है। घटना में नामजद व अन्य 10-12 अज्ञात आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 269/2026 धारा -191(2)/191(3) /109/ 115(2)/ 131/ 324(4) /352/ 351(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ।

2-मु0अ0सं0 270/2026 धारा -191(2)/191(3)/190 /115(2)/131/109(1)/351(3) बीएनएस बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ।

3-मु0अ0सं0 271/2026 धारा -191(2)/191(3)/352/351(3)/324(4) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अभय प्रताप सिंह पुत्र शैलेन्द्र सिंह निवासी ई-104 बैतऊ अपार्टमेन्ट गोतमीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

02-विष्णु स्वरूप द्विवेदी पुत्र पं0 श्रीकृष्ण मुरारी शास्त्री निवासी 5/810 विकास खण्ड थाना गोतमीनगर लखनऊ उम्र 25 वर्ष

03-सार्थक कपूर पुत्र नीरज कपूर निवासी बी 3/498 विकास खण्ड थाना गोतमीनगर लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

05-अभियुक्त अभय प्रताप सिंह पुत्र शैलेन्द्र सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 164/2025 धारा 308(5)/351(2)/352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना चिनहट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 439/2025 धारा 115(2)/125(a)/324(4)/351(3)/352 एक्ट थाना चिनहट लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 555/2025 धारा 109/ 91(2) /191(3) /3(5) /351(3) एक्ट थाना चिनहट लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 148/2024 धारा 352, 427, 504, 506, 507 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

नोट- अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है।

06-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गोमतीनगर लखनऊ

1- प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी

2- उ0नि0 श्री पंकज कुमार राय

3- उ0नि0 श्री सचिन केसरवानी ,

4- का0 धर्मवीर सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1087

दिनांक-30.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को चोरी के आभूषण (कीमत करीब 12 लाख से अधिक) के साथ किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.06.2026 को वादी मुकदमा प्रशान्त मणि त्रिपाठी पुत्र श्री जटा शंकर मणि त्रिपाठी निवासी प्लाट न0 2B मोहम्मदपुर खत्री कल्याणपुर थाना गुडम्बा लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/2026 धारा 305(a)/331(4) बी0एन0एस0 बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में ताला तोड़ कर कमरे से जेवरात(आभूषण) व नकदी रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

आज दिनांक 30.06.2026 को उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह , उ0नि0 सौरव नेहवाल मय हमराही हे0का0 अवधेश कुमार व का0 प्रदीप सोनकर द्वारा पतारसी सुरागरसी के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के 04 अदद पीली धातू की अँगूठी, 01 अदद पीली धातू का मँगलसूत्र, 02 अदद पीली धातू की चेन, 01 अदद पीली धातू का हार, 02 अदद पीली धातू की कान की बाली, 01 अदद पीली धातू की नथ की लर, 02 अदद पीली धातू की सुई-धागा, 01 अदद पीली धातू का लाकेट, 03 अदद पीली धातू कान के टोप्स, 01 अदद पीली धातू की नाक की कील, 01 अदद पीली धातू की नथुनी, 02 अदद पीली धातू की नाक की कील नग सहित, 01 अदद सफेद धातू की करधनी, 01 अदद सफेद धातू की हाफ पेटी, 08 अदद सफेद धातू की पायल, 01 अदद सफेद धातू की कमर की चेन, 02 अदद सफेद धातू के बच्चे के कड़े, 04 अदद सफेद धातू के बिछिया व 01 अदद घडी हाथ की, रूपया नगद (सिक्के) एक रूपय 98 सिक्के व दो रूपय 20 सिक्के कुल 138 रूपया के साथ प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01-मंयक वर्मा पुत्र बाल गोविन्द वर्मा नि0 ग्राम भण्डार बड्डूपुर थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी हाल पता मैकाले तिराहे के पास राघवंश अस्पताल के पास थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष, 2. अभिषेक यादव पुत्र महेश यादव नि0 कंचना विहारी मार्ग कल्याणपुर थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्त चोरी का सामान बरामद किया गया। अभियुक्तगण को उनके द्वारा कारित अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक 30.06.2026 को कुकरैल जंगल से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिनके विरूद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बता रहें है कि साहब हम लोग देखे कि उक्त बन्द मकान में काफी दिन से कोई नही था तो हम लोग मौका पाकर उक्त बन्द मकान का ताला तोड़कर आर्थिक लाभ हेतु नगद रूपये व सोने व चांदी के आभुषण चोरी कर लिये थे नकद रूपये हम लोगो ने खर्च दिये और जेवरात को हम लोग बेचने के फिराक में थे कि आज आप लोगो ने पकड़ लिया। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 255/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. मंयक वर्मा पुत्र बाल गोविन्द वर्मा नि0 ग्राम भण्डार बड्डूपुर थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी हाल पता मैकाले तिराहे के पास राघवंश अस्पताल के पास थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अभिषेक यादव पुत्र महेश यादव नि0 कंचना विहारी मार्ग कल्याणपुर थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष।

05-बरामदगी

- 04 अदद पीली धातू की अँगूठी
- 01 अदद पीली धातू का मँगलसूत्र व
- 02 अदद पीली धातू की चेन
- 01 अदद पीली धातू का हार
- 02 अदद पीली धातू की कान की बाली
- 01 अदद पीली धातू की नथ की लर
- 02 अदद पीली धातू की सुई-धागा
- 01 अदद पीली धातू का लाकेट
- 03 अदद पीली धातू कान के टोप्स
- 01 अदद पीली धातू की नाक की कील
- 01 अदद पीली धातू की नथुनी
- 02 अदद पीली धातू की नाक की कील नग सहित
- 01 अदद सफेद धातू की करधनी
- 01 अदद सफेद धातू की हाफ पेटी
- 08 अदद सफेद धातू की पायल
- 01 अदद सफेद धातू की कमर की चेन
- 02 अदद सफेद धातू के बच्चे के कड़े
- 04 अदद सफेद धातू के बिछिया
- 01 अदद घडी हाथ की
- नगद (सिक्के) एक रूपये 98 सिक्के व दो रूपय 20 सिक्के कुल 138 रूपया।

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री सौरव नेहवाल
4. हे0का0 अवधेश कुमार
5. का0 प्रदीप सोनकर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1088
दिनांक-30.06.2026

जोन-मध्य/थाना-महानगर

- **थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.06.2026 को वादिनी की लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0118/2026 धारा 69/352 बीएनएस बनाम अरून कश्यप पुत्र स्व0 राजेश कश्यप निवासी नई फरीदीपुर रिंग रोड दुबग्गा, काकोरी, थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 24 वर्ष बावत वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना तथा शादी के लिए कहने पर शादी से इंकार करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना महानगर पुलिस टीम द्वाराअभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की जा रही थी, कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त अरून कश्यप पुत्र स्व0 राजेश कश्यप निवासी नई फरीदीपुर रिंग रोड दुबग्गा,काकोरी ,थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 24 वर्ष को विवेकानन्द अस्पताल इमरजेन्सी गेट पुराना महानगर लखनऊ के पास से दिनांक 29.06.2026 को समय करीब 11.30 PM बजे हिरासत पुलिस में लेकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभि0 उपरोक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर शादी से इंकार करना अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अरून कश्यप पुत्र स्व0 राजेश कश्यप निवासी नई फरीदीपुर रिंग रोड दुबग्गा, काकोरी , थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 24 वर्ष।

04- अनावरित अभियोग:-

मु0अ0सं0 0118/2026 धारा 69/352 बीएनएस थाना महानगर कमि0 लखनऊ

अभियुक्त उपरोक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना महानगर

1. उ0नि0 महेश कुमार शुक्ला थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 पंकज यादव थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 मनीष कुमार थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1090
दिनांक-30.06.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

➢ **ई-रिक्शा सवार महिला के गले से सोने की चैन लूटने वाली 03 शातिर महिला अभियुक्ताओं को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लूटी गयी चैन बरामद की।**

01- संक्षिप्त विवरण-

थाना मलिहाबाद पुलिस ने **ई-रिक्शा सवार महिला के गले से सोने की चैन लूटने** की घटना का सफल अनावरण करते हुए **03 शातिर महिला अभियुक्ताओं** को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से **लगभग 10 ग्राम वजन की लूटी गई सोने की चैन** बरामद की गई है।

दिनांक **28.06.2026** को वादिनी **श्रीमती संगीता यादव** ने थाना मलिहाबाद पर तहरीर देकर बताया कि ई-रिक्शा से यात्रा के दौरान **तीन महिलाओं ने बातचीत में उलझाकर उनके गले से सोने की चैन काट ली** और फरार हो गईं। इस संबंध में **मु0अ0सं0-126/2026** अंतर्गत **धारा 309(4) बीएनएस** में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम लगातार **पतारसी, सुरागरसी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश** कर रही थी। **30.06.2026** को **बड़ी गढ़ी मोड़, मोहान तिराहे** के पास चेकिंग के दौरान **मुखबिर की सूचना** पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया।

महिला पुलिस कर्मियों द्वारा नियमानुसार जामा तलाशी लेने पर अभियुक्ता **भुल्ली देवी** के कब्जे से **लगभग 10 ग्राम वजन की लूटी गई सोने की चैन** बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 317(2) बीएनएस** की वृद्धि की गई तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ में अभियुक्ताओं ने बताया कि उन्होंने ई-रिक्शा में महिला को निशाना बनाकर उसे बातचीत में उलझाया और मौका पाकर चैन काट ली। घटना के बाद शोर मचने पर वे कपड़े बदलकर मजदूर के रूप में आम के बागों में छिप गईं तथा आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ली गईं।

02-गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता व व्यवसाय

1. भुल्ली देवी पत्नी दशरथ उम्र करीब 50 वर्ष, निवासिनी- ग्राम सरही चमरोठी पठनटोला, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर। (मेहनत मजदूरी)
2. निशा पत्नी मकलू उम्र करीब 30 वर्ष निवासिनी ग्राम लेढ़या पोस्ट धमैचा, चौकी- सरैया गोला बाजार, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर। (मेहनत मजदूरी)
3. संजू उर्फ राजकुमारी पत्नी संजय उर्फ जितेन्द्र उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम लेढ़या पोस्ट धमैचा, चौकी- सरैया गोला बाजार, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर। (मेहनत मजदूरी)

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0स0 126/2026 अन्तर्गत धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ

04-अपराधिक इतिहास अभियुक्ता भुल्ली देवी पत्नी दशरथ

01-मु0अ0सं0 148/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती

05-बरामदगी –

- 01 अदद चैन पीली धातु वजन लगभग 10.00 ग्राम

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

1. व0उ0नि0 श्री संजय यादव थाना मलिहाबाद लखनऊ
2. उ0नि0 राहुल तिवारी थाना मलिहाबाद लखनऊ
3. उ0नि0 अनिल कुमार गौतम थाना मलिहाबाद लखनऊ
4. म0उ0नि0 श्रीमती मनीषा पाठक थाना मलिहाबाद लखनऊ
5. उ0नि0 अभिलाष थाना मलिहाबाद लखनऊ
6. म0का0 अंकिता थाना मलिहाबाद लखनऊ
7. म0का0 ललिता थाना मलिहाबाद लखनऊ
8. का0 रवि यादव थाना मलिहाबाद लखनऊ